राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ–1(24)पीएस / निकाशि / 2015 / 556 दिनांकः 16-10-2020

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं0 एल–12 (L-12) में पदोन्नत किया जाता है:–

क0सं0	नाम	वर्तमान पदस्थापन	चयन तिथि
1	श्री भंवर लाल कोली (अ0जा0)	राज0 महा0, आसिन्द	01–04–2020
2	श्री देवेन्द्र कुमार आर्य (अ0जा0) (से.नि.दि. 31.08.2020)	राज0 महा0, सुमेरपुर	01–04–2020
3	श्री अशोक कुमार जोशी	राज0 कन्या महा0, भीलवाडा	01–04–2020
4	श्री बजरंग लाल पारीक	राज0 महा0, श्रीडूंगरगढ़	01–04–2020
5	श्री देवेन्द्र सिंह यादव	राज0 महा0, ब्यावर	01–10–2020
6	श्री बंशी लाल मालाकार	राज0 महा0, किशनगढ़	01–10–2020

उक्त अधिकारियों में सेवारत अधिकारी अपने पदोन्नत पदों को यथा आवश्यकता अस्थायी तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रभावी होगें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें। **पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगें।**

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 20–10–2020 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेवें। किसी भी कार्मिक की कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

16/10.
(संदेश नायक)
आयुक्त,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.–स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य– कृपया संबंधित कार्मिकों की पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की सूचना अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में अविलम्ब आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmn.cce@gmail. com पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. वेबसाईट प्रभारी– कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा / रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली ।

16.10.2020
(डॉ0 के0 एल0 सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),